संख्या-1543/नौ-5-2015-109बजट/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **नगर आयुक्त,** नगर निगम, सहारनपुर।
2. **अधिशासी अधिकारी,** नगर पालिका परिषद, रामपुर, जलालपुर(अम्बेडकरनगर) /नगर पंचायत, मेहनगर/जीयनपुर(आजमगढ़)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 18 मार्च, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2013-14 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में विभिन्न स्थानीय नागर निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने हेतु किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नाकिंत 05 नागर निकायों को वित्तीय वर्ष 2013-14 में **'नगरीय सड़क सुधार योजना'** के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि **दिनांक 30 जून, 2015** तक इस शर्त के अधीन बढ़ायी जाती है कि सम्बन्धित नागर निकाय द्वारा इस अवधि में प्रत्येक दशा में स्वीकृत कार्य पूर्ण कराकर धनराशि का उपभोग सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद, शासन तथा निदेशक, नगरीय निकाय को उपलब्ध कराया जायेगाः-

(लाख रू. में)

क्रम सं0	निकाय का नाम	नगरीय सड़क सुधार योजना से स्वीकृत धनराशि का शासनादेश एवं दिनांक	स्वीकृत धनराशि
1	नगर पालिका परिषद, रामपुर	7306/नौ-5-2013-197बजट/2013 दिनांक 09.01.2014	231.50
2	नगर पालिका परिषद, जलालपुर- अम्बेडकरनगर	4425/नौ-5-2013-161बजट/2013टीसी-1 दिनांक 25.09.2013	31.40
3	नगर निगम, सहारनपुर	8373/नौ-5-2013-290बजट/2013 दिनांक 09.01.2014	53.00
4	नगर पंचायत, मेहनगर-आजमगढ़	8512/नौ-5-2014-9बजट/2013 दिनांक 24.02.2014	30.37
5	नगर पंचायत, जीयनपुर-आजमगढ़	6718/नौ-5-2013-208बजट/2013टीसी-3 दिनांक 09.12.2013	15.03

2. उक्त धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 30 जून, 2015 के उपरान्त किसी भी दशा में नहीं बढ़ायी जायेगी।
3. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1543(1)/नौ-5-2015 एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, इंदिरा भवन, लखनऊ।
6. सम्बन्धित अध्यक्ष,नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।